*  वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत 8000 आवेदनों का चयन जिलावार निर्धारित लक्ष्य के आधार पर किया जाना है, जिसे कैटेगरी-(**A**), (**B**) एवं (**C**) के रूप में विभाजित किया जायेगा। **आवेदक द्वारा गलत कैटेगरी चयन अथवा गलत आवेदन करने पर पुनः संशोधित करने का कोई विकल्प नहीं दिया जायेगा। आवेदक जिस जिलें में परियोजना स्थापित करना चाहतें है, उस जिले का स्थाई निवास प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।**

कैटेगरी-(**A**) - 5000 आवेदन कुल 51 परियोजनाओं में स्वीकृत किये जायेंगे।

कैटेगरी-(**B**) - 2000 आवेदन सिर्फ चर्म एवं वस्त्र तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के लिए स्वीकृत किये जायेंगे।

कैटेगरी-(**C**) - 1000 आवेदन का चयन बियाडा के औद्योगिक क्षेत्र में मात्र चर्म एवं वस्त्र प्रक्षेत्र के लिए किये जायेंगे। कैटेगरी 'C' के लिए लक्ष्य जिलावार न होकर पूरे राज्य के लिए है। किसी भी जिला के आवेदक द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र में आवेदन दिया जा सकता है।

**एक आवेदक अपने आधार के माध्यम से किसी एक कैटेगरी में ही आवेदन कर सकते हैं।**

## और पढ़े :-

**कैटेगरी-(A)** में सभी 51 प्रक्षेत्र निम्नवत हैं :-

1. बढईगिरी एवं लकड़ी के फर्निचर 2. बाँस का सामान/फर्निचर उत्पादन इकाई 3. बेंत का फर्निचर निर्माण 4. सीमेन्ट का जाली, दरवाजा एवं खिड़की इत्यादि 5. फ्लाई एश ब्रिक्स/सीमेन्ट ब्लॉक एवं टाइल्स 6. कंक्रीट ह्यूम पाईप 7. डिटर्जेन्ट पाउडर, साबुन एवं शैम्पु 8. डिस्पोजेबल डाइपर एवं सेनेटरी नैपकिंन, 9. नोटबुक/कॉपी/फाईल/फोल्डर उत्पादन 10. प्लास्टिक सामग्री/बॉक्स/बोटल्स, 11. स्पोर्ट्स जूता 12. पी०भी०सी० जूता/चप्पल, 13. गेटग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई 14. हॉस्पिटल बेड/ट्राली निर्माण की इकाई 15. हल्के वाहन के बॉडी निर्माण 16. रौलिंग शटर, 17. पैथोलोजिकल जाँच घर 18. स्टील का बॉक्स/ट्रंक/रैक निर्माण/स्टील का फर्नीचर/स्टील का आलमीरा निर्माण, 19. स्टेप्लाइजर/इनवर्टर/यू०पी०एस०/सी०भी०टी० एसैम्बलिंग 20. कूलर निर्माण 21. आई०टी० बिजनेस केन्द्र/वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेन्ट एवं डिजाईनिंग 22. फ्लैक्स प्रिन्टिंग 23. कम्प्यूटर हार्डवेयर एसैम्बलिंग एवं नेटवर्किंग 24. ऑटो गैरेज 25. ड्राईक्लीनिंग, 26. कृषि यंत्र निर्माण प्रक्षेत्र, 27. बेकरी उत्पाद, 28. आटा, सत्तु एवं बेसन उत्पादन, 29. पशु आहार उत्पादन, 30. मुर्गी दाना का उत्पादन, 31. तेल मिल, 32. मसाला उत्पादन, 33. आइसक्रीम उत्पादन, 34. जैम/जेली/ सॉस उत्पादन, 35. कार्नफ्लेक्स उत्पादन, 36. दाल मिल, 37. पोहा/चुड़ा उत्पादन, 38. बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग, 39. मधु प्रसंस्करण, 40. फलों के जूस की इकाई, 41. मखाना प्रोसेसिंग, 42 रेडिमेड वस्त्र निर्माण, 43. कसीदाकारी, 44. बेडसीट, तकिया कवर निर्माण, 45. चमड़े के जैकेट्स निर्माण, 46. चमड़े के जूता निर्माण, 47. चमड़े के बैग, बेल्ट्स, वालेट एवं ग्लोब्स/चमड़े एवं रेक्सीन का सीट कवर निर्माण, 48. ढ़ाबा/होटल/रेस्टोरेन्ट/फुड ऑन व्हील्स, 49. इलेक्ट्रीक व्हीकल्स एसेम्बलिंग, 50. पावर लूम इकाई, 51. केला के रेशा निर्माण की इकाई।

**कैटेगरी-(B)** में वस्त्र, चर्म एवं खाद्य प्रसंस्करण के सभी 24 प्रक्षेत्र निम्नवत हैं :-

1. बेकरी उत्पाद, 2. आटा, सत्तु एवं बेसन उत्पादन, 3. पशु आहार उत्पादन, 4. मुर्गी दाना का उत्पादन, 5. तेल मिल, 6. मसाला उत्पादन, 7. आइसक्रीम उत्पादन, 8. जैम/जेली/सॉस उत्पादन, 9. कार्नफ्लेक्स उत्पादन, 10. दाल मिल, 11. पोहा/चुड़ा उत्पादन, 12. बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग, 13. मधु प्रसंस्करण, 14. फलों के जूस की इकाई, 15. मखाना प्रोसेसिंग, 16 रेडिमेड वस्त्र निर्माण, 17. कसीदाकारी, 18. बेडसीट, तकिया कवर निर्माण, 19. चमड़े के जैकेट्स निर्माण, 20. चमड़े के जूता निर्माण, 21. चमड़े के बैग, बेल्ट्स, वालेट एवं ग्लोब्स/चमड़े एवं रेक्सीन का

सीट कवर निर्माण आदि का निर्माण, 22. ढ़ाबा/होटल/रेस्टोरेन्ट/फुड ऑन व्हील्स, 23. पावर लूम इकाई, 24. केला के रेशा निर्माण की इकाई।

**कैटेगरी-(C)** में बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों यथा- हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र/ ई0पी0आई0पी0, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र, बिहटा(पटना)/सिकन्दरा, औद्योगिक क्षेत्र, कुमारबाग (बेतिया) औद्योगिक क्षेत्र/ मारंगा (पूर्णिया) औद्योगिक क्षेत्र, वृहत औद्योगिक क्षेत्र, बरारी, भागलपुर एवं बेगुसराय औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत वस्त्र एवं चर्म के सभी 08 प्रक्षेत्र निम्नवत हैं :-

1. रेडिमेड वस्त्र निर्माण, 2. कसीदाकारी, 3. बेडसीट, तकिया कवर निर्माण, 4. चमड़े के जैकेट्स निर्माण, 5. चमड़े के जूता निर्माण, 6. चमड़े के बैग, बेल्ट्स, वालेट एवं ग्लोब्स/चमड़े एवं रेक्सीन का सीट कवर आदि का निर्माण, 7. पावर लूम इकाई, 8. केला के रेशा निर्माण की इकाई।

कैटेगरी-(C) के लिए एक आवेदक तीन औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एण्ड प्ले अर्थात शेड की सुविधा प्राप्त करने हेतु अपनी प्राथमिकता (Preference) दे सकते है। बियाडा (Bihar Industrial Area Development Authority) द्वारा निर्धारित शुल्क के हिसाब से उन्हें Rent देना होगा। बियाडा के औद्योगिक क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करने से उन्हें यह फायदा होगा कि बियाडा द्वारा दिये गये प्लग एण्ड प्ले अथार्त शेड इत्यादि की सुविधा उन्हें उपलब्ध होगी तथा Marketing Facility एवं Raw Matirial के लिए बड़े उद्योगों से समन्वय करना आसाना होगा। बियाडा के औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एण्ड प्ले अथवा शेड की सुविधा प्राप्त करने हेतु निम्नवत किराया (Rent) निर्धारित है :-

| | |
|---|---|
| 1. हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र/ ई0पी0आई0पी0, हाजीपुर- | 06 रू0 प्रति वर्गफीट |
| 2. मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र - | 06 रू0 प्रति वर्गफीट |
| 3. बिहटा(पटना)/सिकन्दरपुर, औद्योगिक क्षेत्र - | 08 रू0 प्रति वर्गफीट |
| 4. कुमारबाग (बेतिया) औद्योगिक क्षेत्र - | 04 रू0 प्रति वर्गफीट |
| 5. मारंगा (पूर्णिया) औद्योगिक क्षेत्र - | 06 रू0 प्रति वर्गफीट |
| 6. वृहत औद्योगिक क्षेत्र, बरारी, भागलपुर - | 06 रू0 प्रति वर्गफीट |
| 7. बेगुसराय औद्योगिक क्षेत्र - | 04 रू0 प्रति वर्गफीट |